



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1144]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 21, 2018/फाल्गुन 30, 1939

No. 1144]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 21, 2018/PHALGUNA 30, 1939

कोयला मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 मार्च, 2018

का.आ. 1271(अ).—कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2015 (2015 का 11) की धारा 18 के उप-धारा (1) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार एतद्वारा अध्यक्ष, कोल इंडिया लिमिटेड को निम्नलिखित अनुसूची - I कोयला खान का प्रबंधन एवं प्रचालन करने हेतु पदनामित अभिरक्षक नियुक्त करती है :-

1. गारे-पाल्मा - IV/7 (छत्तीसगढ़)

[फा. सं. सीबीए 2-13016/1/2018-सीबीए2]

राजेश कुमार सिन्हा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COAL

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st March, 2018

S.O. 1271(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 18 of the Coal Mines (Special Provisions) Act, 2015 (11 of 2015), the Central Government hereby appoints Chairman, Coal India Ltd. as a designated custodian to manage and operate the following Schedule-I coal mine, namely:-

1. Gare-Palma-IV/7 (Chhattisgarh)

[F. No. CBA2-13016/1/2018-CBA2]

RAJESH KUMAR SINHA, Jt. Secy.